निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.23(   )स्था/निकाशि/RVRES/2012/667 दिनांकः– 27-09-12

परिपत्र

राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम (RVRES) 2010 के तहत नियुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग के अशैक्षणिक कार्मिको का जिनका पदस्थापन विभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित महाविद्यालयों व स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न विद्यालयों में किया गया है, उनके द्वारा क्षेत्रिय कार्यालयों में उपस्थित रहे दिवसों का उपस्थिति प्रमाण पत्र उनको भुगतान किये गये समेकित वेतन के जी.ए.55 जारी करने की मांग की जा रही है ।

विभाग द्वारा पूर्व में पत्रांक 453 दिनांक 20.06.12 को उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं समेकित वेतन के जी.ए.55 जारी करने बाबत एक परिपत्र जारी किया गया था ।

अतः पूर्व में जारी परिपत्र के अनुसार ही समस्त सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालयों/राजकीय महाविद्यालयों को निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे अशैक्षणिक कार्मिको का उपस्थिति प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें एवं जिस महाविद्यालय के द्वारा समेकित वेतन का भुगतान किया गया है उसे निर्देशित किया जाता है कि समेकित वेतन का भुगतान प्रमाण पत्र जारी कर कार्मिक के पदस्थापित महाविद्यालय/विद्यालय को प्रेषित करावें । साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते है कि कार्मिक के पदस्थापित विद्यालय की जानकारी के अभाव में कार्मिक के व्यक्तिशः उपस्थित होने पर प्रधानाध्यपक राजकीय विद्यालय द्वारा जारी पत्र के आधार पर उक्त सूचनाएं उपलब्ध करावें ।

(सुबीर कुमार)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. निजी सचिव, निदेशक कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर ।
4. संयुक्त निदेशक (अनुदान/प्रशासन) कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर ।
5. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रिय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर ।
6. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर ।
7. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राज., जयपुर ।
8. प्राचार्य, स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर एवं संगीत संस्थान, जयपुर ।
9. डॉ.धीरेन्द्र देवर्षि, बेबसाईट प्रभारी ।
10. समस्त शैक्षणिक कार्मिक RVRES
11. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर